

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/P/21/00675

दिनांक, 17.01.2022

सेवा में,

श्री प्रकाश चन्द्र गौड़

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।

महोदय/महोदया,

उक्त विषयक आपका दिनांक 21.12.2021 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 28.12.2021 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें।

आपके उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है, जबकि आपके आवेदन का विषय वस्तु राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालय से संबंधित है। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालय केन्द्रीय सूचना आयोग के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हैं। अतः आपके आवेदन पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि आपका आवेदन राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों से संबंधित है, अतः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी OFFICE MEMORANDUM No. 10/2/2008-IR दिनांक 12 जून, 2008 (जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है) के पैरा 3 (iv) के अनुसार सीधे संबंधित राज्य सरकार के कार्यालयों में आवेदन प्रेषित कर सूचना प्राप्त करें।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री अजितकुमार बसंतराव सोनटक्के, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 को की जा सकती है।


17/1/22

(सुजोध कुमार)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690